तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 40/2024 बअनवान विशनसिंह बनाम प्रेमसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

<u>आदेश</u>

दिनांक 23.12.2024

उपस्थिति

1. श्री अनोपसिंह सोलंकी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. दो

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 85/2022 अनवान विशनसिंह बनाम प्रेमसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 जनवरी 2024 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 27 फरवरी 2024 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट पैतृक पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर फलोदी के समक्ष एक वाद संख्या 105/1997 अनवान देवीसिंह बनाम गुमानसिंह दिनांक 17.06.1997 को जरिये राजीनामा निर्णित हुआ,, जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के द्वारा वादग्रस्त आराजी को पैतृक मानते हुए अपने पिता गुमानसिंह के जीवनकाल में ही पैतृक भूमि होने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आधार पर अपने हिस्से की घोषणा एवं बंटवाड़ा की इस्तदुआ की मांग की गई थी। अपीलांट व रेस्पोडेंट के पिता गुमानसिंह ने भी वाद को स्वीकार कर राजीनामा पेश कर अपीलांट व रेस्पोडेंट के हिस्से में 14 बीघा- 14 बीघा भूमि बंट में रखी गई तथा अपीलांट के पिता गुमानसिंह ने अपने बंट में 12.06 बीघा भूमि रखना स्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने उसी अनुसार वाद को स्वीकार किया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के अनुसार ही पक्षकार मौके पर काबिज काश्त है, जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है, किंतु विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 11.06.1997 की पालना आज दिनांक तक नहीं हुई। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी होने से वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का 1/7 हिस्सा जन्म से निहित है। अपीलांट के पिता गुमानसिंह को अकेले एक पुत्र के नाम बक्शीशनामा पैतृक संपति के संबंध में निष्पादित करने का कोई अधिकार नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष रखकर अपने केस को बखूबी साबित किया गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। रेस्पोडेंट्स मौके पर अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी पैदा कर रहे तथा राजस्व रेकर्ड की आड़ में परिवर्तन करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलेंट गुमानसिंह पुत्र राहिगसिंह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 40/2024 बअनवान विशनसिंह बनाम प्रेमसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

	व उनके भाईयों के नाम वक्त सेटलमेंट से दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का मूल खातेदारान् के मध्य विभाजन होने से खसरा नं. 715 रकबा 2.6305 हैक्टेयर भूमि गुमानसिंह के बंट में आयी जो वर्तमान में रेस्पोडेंट के नाम से दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट से ही गुमानसिंह के नाम दर्ज होने से उक्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि नहीं है। खातेदार गुमानसिंह द्वारा अपनी स्वअर्जित आराजी का हस्तांरण रेस्पोडेंट संख्या एक को किया जा चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि साबित नही होने से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. द्वारा अपनी बहस के समर्थन में अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 53/2023 अनवान गुमानसिंह बनाम विशनसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 17.04.2023 की प्रति पेश की। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 92/97 अनवान उमेदसिंह बनाम जुगतसिंह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.04.1997 के मुताबिक अपीलांट के पिता गुमानसिंह एवं उनके भाईयों ने वादग्रस्त आराजी को अपनी पैतृक सम्पति माना है तथा विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नं. 715 में रकबा 16.3 बीघा का खातेदार घोषित किया जाना प्रतीत होता है। उक्त अभिलेख से प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रतीत होती हैं। लिहाजा प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना अदालत हाजा की राय में न्यायोचित प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2024 को निरस्त किया जाकर उभय पक्ष को विचारण न्यायालय में विचाराधीन मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 715/2 रकबा 2.6305 हैक्टेयर ग्राम धोलिया के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर